

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 जनवरी 2010—माघ 7, शक 1931

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2010

क्र. एफ-23-3-2010-सा-उन्नीस.—टोल एक्ट 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) की धारा 2 की सहपठित धारा 4 जैसा कि वह मध्यप्रदेश राज्य को लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, खण्डवा जिले के सिरपुर जामली कोहदड़ मार्ग के कि.मी. 7/4-6 में वगमार नदी पर नवनिर्मित पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-2000-जी-उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-31-19/84-जी-उन्नीस, दिनांक 12 जून 1985 एवं क्रमांक-एफ-23-2-94-सा-उन्नीस, दिनांक 9 मई 1994 को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2010

पू. क्र.-एफ-23-3-2010-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-23-09-2002-सा-उन्नीस, भोपाल दिनांक 30 मार्च 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2010

F- 23-3-2010-G-XIX.—In exercise of powers conferred by Section-2 read with Section-4 of the Tolls Tax Act, 1851 (viii of 1851) in its applications to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby levies Toll Tax on River Bridge situated in Sirpur Jamli Kohdarh Road Bridge in KM 7/4-6 in Khandwa District at rates specified in the second schedule appended to this Department's Notification No. F-32-4-2000-G-XIX, Dated 21 July 2000, and declared that the vehicles specified in the third schedule to this Department's Notification No. F-31-19-84-G-XIX, Dated 12 June 1985, and Notification No. F-23-2-94-G-XIX, Dated 9 May 1994 shall be exempted from the payments of the said Tolls.

This Notification shall come into force with effect from 27 January 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. K. Jain, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2010

क्र. एफ-23-4-2010-सा-उन्नीस.—टोल एक्ट 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) की धारा 2 की सहपठित धारा 4 जैसा कि वह मध्यप्रदेश राज्य को लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, खण्डवा जिले के पंधाना रुस्तमपुर मार्ग के कि.मी. 3/2 में नवनिर्मित सिलरिया पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-2000-जी-उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-31-19/84-जी-उन्नीस, दिनांक 12 जून 1985 एवं क्रमांक-एफ-23-2-94-सा-उन्नीस, दिनांक 9 मई 1994 को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2010

पु. क्र.-एफ-23-4-2010-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-23-09-2002-सा-उन्नीस, भोपाल दिनांक 30 मार्च 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2010

F- 23-4-2010-G-XIX.—In exercise of powers conferred by Section-2 read with Section-4 of the Tolls Tax Act, 1851 (viii of 1851) in its applications to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby levies Toll Tax on River Bridge situated in Pandhana Rustampur Bridge in KM 3/2 in Khandwa District at rates specified in the second schedule appended to this Department's Notification No. F-32-4-2000-G-XIX, Dated 21 July 2000, and declared that the vehicles specified in the third schedule to this Department's Notification No. F-31-19-84-G-XIX, Dated 12 June 1985, and Notification No. F-23-2-94-G-XIX, Dated 9 May 1994 shall be exempted from the payments of the said Tolls.

This Notification shall come into force with effect from 27 January 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. K. Jain, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2010

क्र. एफ-23-2-सा-उन्नीस.—टोल एक्ट 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) की धारा 2 की सहपठित धारा 4 जैसा कि वह मध्यप्रदेश राज्य को लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, खण्डवा जिले के पंधाना कुंडिया बरखेड़ी मार्ग के कि.मी. 2/6 में घोड़वा नदी नवनिर्मित पुल पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-2000-जी-उन्नीस, दिनांक 21 जुलाई 2000 में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-31-19/84-जी-उन्नीस, दिनांक 12 जून 1985 एवं क्रमांक-एफ-23-2-94-सा-उन्नीस, दिनांक 9 मई 1994 को तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2010 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2010

पू. क्र.-एफ-23-2-2010-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-23-09-2002-सा-उन्नीस, भोपाल दिनांक 30 मार्च 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2010

F- 23-2-2010-G-XIX.—In exercise of powers conferred by Section-2 read with Section-4 of the Tolls Tax Act, 1851 (viii of 1851) in its applications to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby levies Toll Tax on River Bridge situated in Pandhana Kundiya Barkhedhi Road Bridge in KM 2/6 in Khandwa District at rates specified in the second schedule appended to this Department's Notification No. F-32-4-2000-G-XIX, Dated 21 July 2000, and declared that the vehicles specified in the third schedule to this Department's Notification No. F-31-19-84-G-XIX, Dated 12 June 1985, and Notification No. F-23-2-94-G-XIX, Dated 9 May 1994 shall be exempted from the payments of the said Tolls.

This Notification shall come into force with effect from 27 January 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. K. JAIN, Dy. Secy.